UPBJ010017982021

न्यायालय III-Addl. District Judge/Regular, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Shri Honey Goel), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02408**

Misc. Civil Cases/72/2021

Ikramuddin and others Vs. Mohd. Jakee

दिनांक 21–07–2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0 ग–21 नियत है।

प्रार्थना पत्र ग–21 मय शपथ पत्र ग–22 प्रार्थी/वादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकीर्ण वाद आवेदकगण के द्वारा नाबालिग प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 की सम्पत्ति वर्णित शैडयूल अ प्रकीर्ण वाद का संरक्षक नियुक्त करने हेतु दायर किया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का कोई मतलब वास्ता नाबालिग से नहीं है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 निहायत सरकश किस्म के व्यक्ति है और वह वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र एवं प्रकीर्ण वाद के अन्त में दिया गया है जो नाबालिगान प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 की सम्पत्ति है, को खुर्द–बुर्द कर विक्रय करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि दौरान वाद इस सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया तो प्रकीर्ण वाद का मन्शा फौत हो जायेगा और नाबालिगान प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 के महत्वपूर्ण विधिक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 को दौरान वाद प्रार्थना पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति को विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने से बाज रहने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ग–21 पर सुना लिया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादीगण की ओर से गार्जियन एण्ड वाईस एक्ट के अन्तर्गत वादीगण को संयुक्त रूप से नाबालिगान प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 की सम्पत्ति वर्णित शैडयूल अ का संरक्षक नियुक्त किये जाने हेतु दायर किया गया है। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र ग–21 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 को दौरान वाद निषेधित किया जाये कि वह प्रार्थना पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति को विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने से बाज रहे। उपरोक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिपक्षीगण की

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2022.07.21 15:58:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ओर से प्रार्थना पत्र ग–21 पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र ग–21 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग–21 स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण/प्रतिपक्षीगण सं0 1 ता 2 को प्रार्थना पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति को दौरान वाद अथवा इस सम्बन्ध में अग्रिम आदेश तक, विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने से निषेधित किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 11–08–2022 को पेश हो।

दिनांकः 21/07/2022

अपर जिला जज,
कोर्ट सं0–03, बिजनौर।